cfu;knh tkudkjh

1. [k.M dk ukMy 0;fDr dk uke %& सूची से नाम को चुने। अगर न हो तब पहले NRLM MIS में अकिंत करें।
2. lkn %& जानकारी NRLM MIS से स्वतः आयेगी। अगर न हो तब पहले NRLM MIS में अंकित करें।
3. ladqy laxBu dk uke %& सूची से नाम को चुने। अगर सूची में नाम न हो तब NRLM MIS में Profile Entry करें।
4. ekMy ladqy laxBu %& सूची से श्रेणी को चुने कि यह संकुल NRETP अथवा NRLM अथवा अन्य कार्यक्रम में से किसके अंतर्गत आता है।
5. xBu fnukad %& यह जानकारी स्वतः अंकित हो जायेगी। अंकित न होने की स्थिति में जानकारी को NRLM MIS में Profile Entry में अंकित करें।
6. xzke iapk;r dh la[;k %& संकुल संगठन के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत आते है उसकी संख्या लिखनी है।
7. jktLo xzke dh la[;k %& संकुल संगठन के अंतर्गत कितने राजस्व ग्राम आते है उसकी संख्या लिखनी है।
8. ladqy dk futh vFkok fdjk;s dk Hkou %& यह जानकारी स्वतः अंकित हो जायेगी। जानकारी अंकित न होने की स्थिति में NRLM MIS संकुल की Profile Entry में अंकित करें।
9. ladqy laxBu iathd`r %& यह जानकारी स्वतः अंकित हो जायेगी। अंकित न होने की स्थिति में NRLM MIS की Profile Entry में अंकित करें।
10. iathd`r fnukad %& यह जानकारी तभी पूछी जायेगी, अगर क्रंमाक 09 में ''हां'' अंकित है। अगर संकुल संगठन पंजीकृत है तो जानकारी NRLM MIS से स्वतः आयेगी। जानकारी नही आने की स्थिति में NRLM MIS की Profile Entry में अंकित करें।
11. iathd`r vf/kfu;e %& यह जानकरी तभी पूछी जायेगी, अगर क्रंमाक 09 में ''हां'' अंकित है। यहां सूची में से अधिनियम को चुने।
12. ladqy dk vkarfjd vads{k.k fiNys 06 ekg esa %& ''हां'' को तभी चुने जब अंकेक्षण हुआ हो और अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हो। पूर्ण अंकेक्षण रिपोर्ट न होने की स्थिति में नही को चुने।
13. ladqy dk oS/kkfud vads{k.k gqvk gS %& यह फिल्ड तभी आयेगी जब क्रंमाक 09 में ''हां'' अंकित है। हां को तभी अंकित करें जब अंकेक्षण बाह्यय प्रमाणित CA द्वारा किया गया है।
14. fiNys oS/kkfud vads{k.k foRrh; o"kZ %& यह फिल्ड तभी आयेगी। जब क्रंमाक 09 एवं क्रंमाक 13 में ''हां'' अंकित है। यहां पिछले वित्तीय वर्ष जिसके लिये वैधानिक अंकेक्षण हुई हो उसे सूची में चयन करना है।
15. fiNys oS/kkfud vads{k.k foRrh; o"kZ %& यह फिल्ड तभी आयेगी। जब क्रंमाक 09 एवं क्रंमाक 13 में ''हां'' अंकित है। यहां पिछले वित्तीय वर्ष जिसके

लिये वैधानिक अंकेक्षण हुई हो उसके तिथि को दिनांक/माह/वर्ष के Format में लिखना है।

16. Ih,y,Q u foÙk o"k d fy, MhvkIh Icf/kr çkf/kdj.k dk okf"kd fjVu çLrr fd;k – यह क्षेत्र होगा यदि आप सीएलएफ पंजीकृत का चयन केवल ''हां'' के रूप में करते हैं और सीएलएफ ने वैधानिक लेखापरीक्षा पूरी की ''हां'' अन्यथा, यह प्रदर्शित नहीं करेगा। सरकार के किसी भी पंजीकरण अधिनियम की आवश्यकता है, रिपोर्ट के सेट–वित्तीय के साथ ही गैर–वित्तीय संबंधित को प्रस्तुत किया जाना है वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद विभाग। पूर्व के लिए यदि सहकारी के तहत पंजीकृत है अधिनियम, संगठन को अपनी वित्तीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वार्षिक आम निकाय प्रस्तुत करना होगा बैठक (एजीएम) मिनट, सहकारी के लिए वार्षिक रिटर्न प्रारूप आदि का सेट विभाग और आयकर रिटर्न आयकर विभाग के साथ ही दाखिल किए जाएंगे शपत या बिक्री के लिए किसी भी कृषि आदानों की सोर्सिंग में शामिल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत है वही। ये प्रकृति में अनिवार्य हैं। वित्तीय वर्ष दर्ज करें जिसके लिए रिपोर्ट या संबंधित विभाग को रिटर्न जमा कर दिया गया है।

17. vfre okf"kd vke IHkk dh rkfj[k %& आम सभा में Bye Law के अनुसार गणपूर्ति हुई हो। आम सभा में सदस्यों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट, योजना एवं बजट आने वाले वर्ष की एवं संकुल प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित कोई प्रस्ताव पारित किया हो। संकुल द्वारा अपने जरुरत अनुसार 01 से अधिक आम सभा की जा सकती है, अतः अंतिम आमसभा की तारिख को अंकित करें।

18. fiNys 02 o"kk e fdruh ckj inkf/kdkjh dk cnyko gvk %& Bye Law के अनुसार कितने बार पिछले 02 वर्षो में पदाधिकारियों का बदलाव हुआ।

19. dE;fuVh IigM Vhe dk xBu %& CSHT के अंतर्गत 8–10 सक्रिय सदस्य, स्त्रोत, व्यक्ति एवं कैडर का गठन संकुल के सहयोग हेतु किया जाएगा। अगर टीम गठित कर कार्यवाही बुक में दर्ज है तो हां करें अथवा नही।

20. fdrus **CSHT** InL;k dk ifÛk{k.k gvk %& यह जानकारी तभी मांगी जायेगी जब क्रंमाक 19 ''हां'' होगा। यहां सदस्यों की संख्या अंकित करें, जिनका प्रशिक्षण, प्रशासन, वित्त एवं कार्यालय चलाने हेतु हुआ है।

21. fdrus Ikenkf;d vads{k.k ifÛkf{kr gS %& यहां उस खण्ड में कितने प्रशिक्षित अंकेक्षण प्रशिक्षण के उपरान्त ऑडिट कर रहे है कि संख्या लिखे।

22. fdrus leg InL; chIh I[kh ds #i e dk;jr gS :– संकुल अंतर्गत सदस्य की संख्या जो प्रशिक्षण उपरान्त बीसी सखी के रुप में कार्यरत् है।

23. fdrus leg chIh pSuy Is ysu nsu gks jgk gS %& वैसे समूह की संख्या जो समूह के रुप में बीसी चैनल से लेनदेन कर रहे है।

24. fdrus leg InL; d`f"k vk/kkfjr mRiknd Ifefr dk xBu fd;s %& सदस्य की संख्या लिखना है। अगर एक सदस्य 04 उत्पादक समिति का सदस्य है तो 1 ही लिखा जावे। जहां कोई उत्पादक समिति नही है तो 0 लिखा जावे।

25. fdru s leg lnL; xSj df"k vkthfodk xfrfof/k ls tqM+s gS\& सदस्य की संख्या जिन्होने गैर कृषि आजीविका गतिविधि हेतु एक मुश्त 25000/– राशि गतिविधि में लगाई हो। जहां कोई आजीविका गतिविधि नही है वहां 0 आएगा।

26. fdru s leg lnL; dk thou chek gS\& सदस्य की संख्या जो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े है

27. fdru s leg lnL; isa'ku ls tqM+s gS\& सदस्य की संख्या जो अटल पेंशन योजना एवं प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना और इसी प्रकार की योजना से जुड़े है।

28- tsUMj ij çf'kf{kr lkekftd dk;Z lfefr ¼lh,y,Q½ ds lnL;ks dh la[;k&जेंडर हस्तक्षेप पर प्रशिक्षित सीएलएफ के सामाजिक कार्य उपसमिति के सदस्यों की संख्या दर्ज करें। यदि नहीं किया है, तो "0" दर्ज करें (शून्य)

29- xzke laxBu dh la[;k ftlus tsUMj xfrfof/k;ksa 'kq: dh – संबंधित सीएलएफ के अंतर्गत ग्राम संगठनों (वीओ) की संख्या दर्ज करें, जिन्होंने कुछ लैंगिक गतिविधियां शुरू की हैं जैसे कि स्कूल में बालिकाओं के प्रतिधारण, बाल विवाह पर रोक, घरेलू हिंसा, ग्राम सभाओं में भागीदारी आदि। उन वीओ को शामिल न करें जो ब्लॉक के किसी अन्य सीएलएफ का हिस्सा हैं। यदि नहीं किया है, तो "0" दर्ज करें (शून्य)

30- **FNHW** ij çf'kf{kr lkekftd dk;Z mi lfefr ¼**CLF**½ ds lnL;ks dh la[;k – केवल CLF के सामाजिक कार्य उपसमिति के सदस्यों की संख्या दर्ज करें, जो FNHW विषयों पर प्रशिक्षित है। यदि नहीं किया है, तो "0" दर्ज करें (शून्य)

31- xzke laxBu ftlus dh la[;k FNHW xfrfof/k;ksa 'kq: dh – संबंधित सीएलएफ के ग्राम संगठनों (वीओ) की संख्या केवल उन लोगों को दर्ज करें जिन्होंने समृध्द बिहान पर कुछ गतिविधियां शुरू की हैं जैसे वीएचएसएनडीएस (ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस) में भागीदारी, बैठकों में समृध्द बिहान मुद्दों पर चर्चा करना, रसोई घर के सदस्य, समृध्द बिहान पर प्रशिक्षण। अभियानों में भाग लेना आदि ग्राम संगठन शामिल न करें जो दूसरे सीएलएफ का हिस्सा हैं। यदि नहीं किया है, तो "नहीं किया" दर्ज करें।

32. xzke laxBu dh la[;k ftlus **PRI&CBO** xfrfof/k;ksa 'kq: dh & संबंधित CLF के ग्राम संगठनों (VO) की संख्या यहां दर्ज करें, जिन्होंने PRI&CBO अभिसरण पर कुछ गतिविधियाँ/प्रशिक्षण शुरू किया हो जैसे ग्राम गरीबी घटाने की योजना तैयार करना, ग्राम सभाओं में भाग लेना, बातचीत करना राशन कार्ड, जॉब कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि जैसे एंटाइटेलमेंट तक पहुँचने के लिए PRIs के साथ, VO शामिल नहीं हैं जो दूसरे CLF का हिस्सा हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो "नहीं किया" दर्ज करें

33. ladqy laxBu dk eSaMy lh,y,Q & (एसओपी गवर्नेंस और सीबीओ एचआर–चयन) पर "प्रशिक्षित" किया गया है, यदि संकुल संगठन के

कार्यकारिणी समिति को मॉडल सीएलएफ एसओपी के गवर्नेंस और सीबीओ एचआर के मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया गया है, अन्यथा "नही" का चयन करें।

34. ldy lxBu eâMy lh,y,Q ij çf'kf{kr ¼foÙkh; çcaèku½ fd;k x;k g & सीएलएफ ईसी को मॉडल सीएलएफ एसओपी के वित्तीय प्रबंधन के मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया गया है, तो ''हां'' चुनें अन्यथा "नही" चुनें।

35. lkdy lxBu eâMy lh,y,Q ¼fotu fcfYMx½ ij çf'kf{kr fd;k x;k g – "हाँ" का चयन करें यदि संबंधित सीएलएफ ने विजन बिल्डिंग अभ्यास किया है और खुद के लिए विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है, अन्यथा "नही" चुनें।

36. lkdy lxBu eâMy lh,y,Q ij çf'kf{kr fd;k x;k g –व्यवसाय विकास योजना – "हां" का चयन करें यदि संबंधित सीएलएफ को व्यवसाय विकास योजना पर प्रशिक्षित किया गया है और खुद के लिए एक व्यवसाय योजना तैयार की है अन्यथा "नही" चुनें।

ikVZ & 2- lkekftd vUrHkZoZ.k vkSj lekos'kन की tkudkjh– यहां विभिन्न सामुदायिक श्रेणियों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सामान्य, पीटीजी और पीडब्लूडी के अंतर्गत जानकारी तीन प्रमुखों के तहत साझा की जानी है:–

अ. कुल परिवारों की संख्या : जनगणना/एसईसीसी डेटा के अनुसार कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या।

ब. कुल लक्षित परिवारों की संख्या : कुल पात्र परिवारों की संख्या एनआरएलएम राज्य कार्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार (यदि उपलब्ध हो)। कुल परिवारों की संख्या पात्र SECC और PIP (यदि आयोजित किया गया है) पर विचार करें।

स. ऐसे परिवारों की संख्या जो एनआरएलएम समूह से जुड़े है।।

ikVZ & 3- vR;ar detksj vkSj lhekar ifjokjksa dk lekoas'ku dh tkudkjh

इस अनुभाग में एनआरएलएम मिशन के तहत श्रेणीवार कुल सदस्यों की संख्या अंकित करनी है। जो संकुल से जुड़े है।

ikVZ & 4- Lo&lgk;rk lewg vkSj xzke lxBu cqd dhij ¼iqLrd la/kkjdks dk fooj.k

इस सेगमेंट में SHG और VO बुक कीपर की जानकारी भरी जानी है।

i. ,l,pth dh dqy la[;k& इस कॉलम में SHGs और VOs की ऐसे कुल संख्या अंकित की जानी है।

ii. **SHG** vkSj **VO** dh la[;k & जिसमें बुक कीपर है संबंधित सीएलएफ क्षेत्र में नियमित बुक कीपर्स रखने वाले SHG और VO की संख्या दें।

iii. rSukr cqd dhilZ dh la[;k–संबंधित सीएलएफ क्षेत्र में एसएचजी और वीओ स्तर पर बुक कीपर्स की संख्या दें। यदि एक लेखापाल एक से अधिक एसएचजी/वीओ के खातों की किताबें लिख रहा है, तो आपको इसे केवल एक लेखापाल के रूप में गिनना होगा।

iv. कितने बुक कीपर्स को मिशन द्वारा पूर्ण मानदेय दिया जा रहा है उनकी संख्या लिखें।

v. कितने बुक कीपर्स को CBO (SHG/VO)द्वारा पूर्ण मानदेय दिया जा रहा है उनकी संख्या लिखें

vi. कितने बुक कीपर्स स्वैच्छिक रुप से कार्य कर रहे है उनकी संख्या लिखे।

ikV & 5. lh,y,Q LVkQ vkj dMj fooj.k

इस खंड में, सीएलएफ कर्मचारियों और संवर्गों की संख्या, उनके पारिश्रमिक और संबंधित सीएलएफ में जिनके द्वारा भुगतान किया गया है, की जानकारी भरी जानी है। सीएलएफ स्टाफ की सूची प्रारूप में दी गई हैः–

lnL;k dh l[;k वास्तविक संख्या दर्ज करें। सीएलएफ में उस विशेष श्रेणी में कार्यरत स्टाफ/सामुदायिक कैडर।

प्रति सदस्य न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक (रुपये में)

यह संभव है कि एक ही पदनाम में काम करने वाले या एक ही विषयगत में काम करने वाले दो कर्मचारी या कैडर शिक्षा, कौशल, अनुभव या कार्य जिम्मेदारियों जैसे पहलुओं में भिन्नता के कारण अलग–अलग पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हों। इस कॉलम में, जो न्यूनतम पारिश्रमिक दिया जा रहा है, उसे इस कॉलम में भरना होगा।

प्रति सदस्य अधिकतम मासिक पारिश्रमिक (रुपये में) इस कॉलम में, किसी विशेष श्रेणी को दिया गया अधिकतम पारिश्रमिक भरना होता है।

पारिश्रमिक भुगतान किसके द्वारा किया जा रहा है (एनआरएलएम/सीएलएफ द्वारा) पारिश्रमिक का स्रोत जिसके द्वारा भुगतान किया जाता है उसे इस कॉलम में सूचीबद्ध कर्मचारियों /संवर्गों के लिए भरना होता है। यदि मिशन कर्मचारियों/संवर्गों को पारिश्रमिक का 100% भुगतान कर रहा है, तो ड्रॉप डाउन से ''मिशन'' का चयन करें। यदि ''सीबीओ'' पूरी तरह से भुगतान कर रहा है, तो ड्रॉप डाउन मेनू से सीबीओ का चयन करें। यदि मिशन आंशिक रूप से भुगतान कर रहा है और ''सीबीओ'' आंशिक रूप से भुगतान कर रहा है तो ड्रॉपडाउन मेनू से ''दोनों'' का चयन करें।

सीएलएफ में तैनात किसी भी कर्मचारी और संवर्गो सूची में उल्लेखित नहीं होने की स्थिति में, उस कैडरनेम को कॉलम में जोड़ें और फिर अन्य मापदंडों को में जाानकारी दे।

- यदि कोई कर्मचारी या कैडर सूची में उल्लेखित है, लेकिन संबंधित सीएलएफ क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों के खिलाफ "शून्य" दर्ज करें।
- यदि कोई कैडर केवल एक गतिविधि पर काम कर रहा है तो कैडर की संख्या को उचित स्थान पर ही दर्ज करें। उदाहरण –एक कैडर केवल कृषि सखी के रूप में काम कर रहा है जो कृषि सखी (विशेष) में नंबर दर्ज करता है।
- यदि कोई कैडर दो गतिविधियों को संभालता है जैसे – कृषि सखी भी पशु सखी है या बैंक सखी भी बीसी सखी है, तो इसका उल्लेख कृषि सखी सह पशु सखी या बैंक सखी बीसी सखी के दिए गए प्रमुख में करें।

ikV 6 & lh,y,Q mi lfefr;k dk fooj.k & सीएलएफ में विभिन्न उपसमिति के सदस्यों के संख्या का उल्लेख करना होगा।

यदि प्रारूप में सूचीबद्ध उपसमिति का नाम राज्य में भिन्न होता है, तो उपसमिति के कार्य की समानता के अनुसार उपसमिति के नाम के खिलाफ जानकारी भरें। यदि सीएलएफ में गठित कोई अन्य उपसमिति है, लेकिन प्रदान की गई सूची में वर्णित नहीं है, तो किसी अन्य में उपसमिति का नाम लिखें और फिर जानकारी प्रदान करें। सदस्यों के कॉलम में किसी भी उपसमिति की अनुपस्थिति में "शून्य" या "नहीं" में दर्ज करें।

ikV 7 & lh,y,Q }kjk çkIr QaM

lh,y,Q }kjk çkIr fofHkUu fuf/k;ksa dh tkudkjh ;gka çnku dh xÃ gS&

i. LVkVZ&vi ykxr & यदि स्टार्ट–अप लागत सीएलएफ को दी गई थी, तो स्टार्ट–अप कॉस्ट हेड के तहत दिए गए कुल फंड को दर्ज करें, अन्यथा "शून्य" दर्ज करें। यहां SHG या VO स्टार्ट–अप लागत दर्ज न करें।

ii. lkeqnkf;d fuos'k dks"k ¼**CIF**½ & कुल प्रदाय CIF राशि को लिखे सीआईएफ को सीएलएफ की घोषणा से पहले एसएचजी या वीओ को दिया गया है, एसएचजी और वीओ को दी गई कुल सीआईएफ को जोड़ दें और यहां संचयी राशि दर्ज करें। मूल कारण यह है कि सीएलएफ कुल सीआईएफ राशि का संरक्षक है, भले ही इसे प्राप्त किया गया हो, चाहे वह SHG हो या VO।

iii. NRLM fn'kkfunsZ'kksa ds vuqlkj **VRF**& वीआरएफ को VOs को दिया जाना है। कुछ राज्यों में एचआरएफ/खाद्य सुरक्षा निधि/किसी अन्य जैसे विभिन्न प्रमुखों के तहत वीआरएफ दिया गया था। आपको इन सभी फंडों पर केवल वीआरएफ के तहत विचार करने की जरूरत है। कुछ मामलों में, वीआरएफ को सीएलएफ को दिया गया था और सीएलएफ ऋण के रूप में वीओ को उधार दे रहा है। यदि VRF को मिशन या सीएलएफ द्वारा अनुदान के रूप में दिया गया था, तो दर्ज न करें। केवल तभी प्रवेश करें जब VOs ने VRF को ऋण के रूप में लिया हो और CLF को चुका रहे हों।

iv. ,lohÃih QaM – संबंधित सीएलएफ में दिए गए एसवीईपी फंड की राशि दर्ज करें। यदि सीएलएफ एसवीईपी फंड का हिस्सा नहीं है, तो एसवीईपी फंड के खिलाफ दिए गए स्थान में "शून्य" दर्ज करें।

v. vkthfodk fuf/k – मिशन एवं अन्य स्त्रोत से प्राप्त आजीविका गतिविधि हेतु राशि लिखना है।

vi. lkeqnkf;d lqfo/kk dsæ ¼lh,Qlh½ fuf/k – मिशन या किसी अन्य संगठन द्वारा सीएलएफ को प्रदान की गई निधि की राशि को CFC के उद्देश्य से दर्ज करें या जिसे सामुदायिक सुविधा केंद्र हेतु दिया गया है। यदि ऐसा कोई फंड प्राप्त नहीं होता है, तो फंड हेड के खिलाफ ''शून्य'' दर्ज करें।

vii. dksbZ Hkh vU; QaM– यदि उपर्युक्त प्रमुखों के अलावा कोई भी धन मिशन या किसी अन्य एजेंसियों से सीएलएफ द्वारा प्राप्त किया गया है, तो फंड का नाम जोड़ें और प्राप्त कुल राशि दर्ज करें। यदि सीएलएफ में किसी अन्य फंड के तहत एक से अधिक स्रोत फंड हैं, तो आप अधिक पंक्तियों को जोड़ सकते हैं।

ikVZ 8 & fiNys rhu eghus dk MsVk ¼DCB½

इस अनुभाग में सीएलएफ फंक्शन के बारे में जानकारी भरी जानी है। मुख्य रूप से सीएलएफ पुस्तकों में उपलब्ध आवश्यक जानकारी – मीटिंग मिनट रजिस्टर, कैश बुक, सामान्य खाता बही, लोन लेजर, डीसीबी आदि। पिछले तीन महीने, महीने भर के आधार के रूप में लिया जाएगा जब डेटा भरा जा रहा हो जैसे– आपको चाहिए जुलाई में डेटा भरा जा रहा है, तो अप्रैल, मई और जून महीनों का डेटा भरें। आपको ड्रॉपडाउन मेनू में हेडर कॉलम में महीने के नाम का चयन करना होगा।

i. visf{kr bZlh lnL; dh mifLFkfr & पिछले तीन महीनों में निर्धारित ईसी बैठकों की कुल संख्या के साथ ईसी में कुल सदस्यों की गणना करके सदस्यों की संख्या।

ii. dqy bZlh lnL;ksa esa ls fiNys rhu ekg dh okLrfod mifLFkfr vafdr djuh gSA

iii. dqy _.k cdk;k ¼#i;s esa½ & माह के अंतिम दिन में बकाया ऋण की कुल राशि दर्ज करें। जैसे– यदि डेटा जुलाई में भरा जा रहा है, तो 30 जून को ऋण बकाया डेटा देने की तिथि में कटौती की जाएगी।

iv. ekax ¼ewy½ ¼# esa½ & मांग (मूलधन) राशि को लिखना है।

v. ekax ¼C;kt½ ¼# esa½ – मांग (ब्याज) राशि को लिखना है।

vi. olwyh ewy/ku jkfÛk dk fy[kuk gSA

vii. olwyh ¼C;kt½ jkfÛk dk fy[kuk gSA

viii. vfre 'ks"k jkfÛk ¼uxn½ dk fy[kuk gSA

xi. vfre 'ks"k jkfÛk cSad esa fy[kuk gSA

x. dqy _.k jkf'k 30 fnuksa ls vf/kd ds fy, vfrns; ¼#i;s esa½ & कुल राशि दर्ज करें, जो 30 दिनों से अधिक के लिए ऋण (मूलधन और ब्याज) अतिदेय है।

xi. 30 ,oa 30 vf/kd fnuksa ds fy, vfrns; okys ohvks dh la[;k & जिनका अतिदेय 30 एवं 30 दिनों से अधिक है।

ikV! &09

foÙkh; fooj.k

यदि क्लस्टर लेवल फेडेरेशन द्वारा योजनावार पृथक–पृथक रोकड़ बही बनाई जा रही है तो योजनावार प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय, व्यय एवं बैंलेस सीट बनाकर संकलित किया जाना आवश्यक होगा।

1- ikfIr ,o Hkxrku %& प्राप्ति एवं भुगतान खाता वित्तीय वर्षों प्राप्त एवं भुगतान नगद राशि/बैंक में प्राप्त राशि का सारांश होता है। माह अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक की अवधि एवं अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 तक की अवधि में निर्धारित कॉलम में पृथक से जानकारी भरी जानी होगी।

- ikfIr dh dkye e Hkjh tku okyh tkudkfj;k%&

i. ikjfHkd 'k"k%& gLrxr jkdM ¼**Cash in Hand**½ वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय अवधि के प्रारंभ में हस्तगत राशि का शेष। यह शेष पिछले वित्तीय वर्ष का समाप्ति का अंतिम शेष (Closing Balance) होता है।

ii. ikjfHkd 'k"k%& cd e miyC/k jkfÛk ¼**Cash in Bank**½ वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय अवधि के प्रारंभ में बैंक खाते में उपलब्ध राशि का शेष। यह शेष पिछले वित्तीय वर्ष का समाप्ति का अंतिम शेष (Closing Balance) जोकि बैंक खाते में उपलब्ध होता है। योजना के समस्त बैंक खातों की जानकारी संकलित की जानी होती है।

iii. itxr ikfIr;k%& संगठन के संचालन हेतु समस्त स्त्रोतों से प्राप्त पूंजी राशि (Capital Fund) की प्रविष्टि इसके अंतर्गत की जानी होती है, जिसमें निम्न प्राप्तियॉ सम्मिलित की जा सकती हैः–

v- एस.आर.एल.एम. द्वारा प्रदायित सामुदायिक निवेश कोषः– इसके अंतर्गत सी.एल.एफ./ग्राम संगठन/स्व–सहायता समूहों को एस.आर.एल.एम. द्वारा प्राप्त राशि आयेगी।

c- संगठन सदस्यों द्वारा प्रदायित बचत राशिः– समूह संगठनों (स्व–सहायता समूह/ग्राम संगठन) द्वारा सी.एल.एफ. को प्रदायित कुल बचत राशि की प्रविष्टि इसमें की जानी होगी। उदाहरणः– स्व–सहायता समूह/ग्राम संगठन द्वारा की गई मासिक बचत, स्वास्थ्य संबंधी बचत, शिक्षा संबंधी बचत इत्यादि।

l- सदस्य संगठनों द्वारा प्रदायित अंशपूजी (Share Capital):– यह सदस्य संगठनों द्वारा प्रदायित पूंजी का कुल अंशदान होता है।

n- पूंजीगत प्राप्ति के रूप में अन्य प्राप्तियॉः– यह सी.एल.एफ. संगठन को शासन द्वारा अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदायित पूंजीगत राशि होती है।

/k- संगठन को प्राप्त उद्यम प्रोत्साहन राशि (CEF):— सी.एल.एफ. को प्राप्त सामुदायिक उद्यम निधि की प्राप्त वह राशि होती है जो कि उद्यमिता कार्य के संचालन हेतु मिशन द्वारा प्रदाय की जाती है।

u- उत्पादन कार्य हेतु प्राप्त अनुदान राशि (कार्यशील पूंजी एवं इंफ्रास्ट्रकचर सहित):— यह उत्पादन संगठनों के सहायता हेतु/उत्पादन कार्य हेतु प्राप्त अनुदान राशि होती है। इसमें कार्यशील पूंजी एवं इंफ्रास्ट्रकचर हेतु प्राप्त राशि की प्रविष्टि की जानी होती है।

i- प्राप्त अन्य अनुदान राशिः— इसके अंतर्गत वह राशि सम्मिलित की जायेगी जो कि सी.एल.एफ. को अन्य स्त्रोतों जैसे कि सदस्यों को प्रदायित ऋण पर प्राप्त ब्याज की राशि, ऋण की वापसी इत्यादि हो सकती है।

2- foÙkh; o"k e vk;xr ikfIr;k& इसके अंतर्गत सी.एल.एफ. को प्राप्त समस्त राशियों की प्रविष्टि की जानी होगी।

i. cd C;kt l ikfIr& यह वह ब्याज राशि होगी जो कि योजना अंतर्गत सी.एल.एफ. द्वारा धारित बैंक खातों की राशि पर प्राप्त होगी। यह ब्याज राशि बचत बैंक खाते की राशि पर प्राप्त हो सकता है अथवा सावधी जमा राशि पर प्राप्त ब्याज भी हो सकता है। चालू वित्तीय वर्ष में समस्त स्त्रोतों से प्राप्त ब्याज की प्रविष्टि इसके अंतर्गत की जानी होती है।

ii. vFkneM l ikIr jkfÛk& इसके अंतर्गत वह समस्त राशियॉ सम्मिलित की जायेंगी जो कि अर्थदंड के रूप में प्राप्त की गई है। जैसे कि सदस्यों से प्राप्त अर्थदंड, देनदार अथवा सप्लायर से प्राप्त विलंब शुल्क इत्यादि।

iii. lIk/ku 'kYd@lLFkkxr vU; ikfIr;k& इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाली समस्त संसाधनों शुल्क व संस्थागत प्राप्तियों की प्रविष्टि की जानी होगी। जैसे कि सी.आर.पी./कम्युनिटी कैडर द्वार अन्य संस्था में दी गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क राशि, अन्य संस्थाओं द्वारा सी.एल.एफ. के समूह संगठनों, ग्राम संगठनों अथवा सी.एल.एफ. में किये गये शैक्षणिक भ्रमण के परिपेक्ष्य में भुगतान की गई राशि।

iv. lkenkf;d fuo'k dk"k ij ikIr C;kt jkf'k& सीएलएफ द्वारा अपने सदस्य संगठनों को दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज राशि की प्रविष्टि की जानी होगी।

v. lh-b-,Q- gr ikIr jkf'k ij vthr C;kt& यह सी.एल.एफ. द्वारा सदस्य समूहों को प्रदायित सी.ई.एफ. की ऋण राशि पर प्राप्त ब्याज राशि।

vi. mRiknu legk gr ikIr jkf'k ij vthr C;kt& उत्पादन कार्य हेतु सदस्य समूहों को प्रदायित ऋण राशि पर प्राप्त ब्याज राशि।

vii. vU; ith;k ij ikIr C;kt jkf'k& संगठन सदस्यों/समूहों को अन्य अनुदान से प्रदाय की ऋण राशि पर प्राप्त ब्याज राशि की प्रविष्टि इसके अंतर्गत की जानी होगी।

viii. lxBu d InL;k }kjk inkf;r vkorh InL;rk 'kYd%& यह संगठन सदस्यों द्वारा प्रदायित सदस्यता शुल्क/वार्षिक शुल्क आदि से प्राप्त राशि होती है, जिसकी कुल राशि की प्रविष्टि इसके अंतर्गत की जानी होती है।

ix. lxBu d InL;k I ikIr InL;rk 'kYd%& सदस्य संगठनों द्वारा प्रदायित वार्षिक सदस्यता शुल्क/सदस्यता नवीनीकरण शुल्क से प्राप्त कुल राशि की प्रविष्टि इसके अंतर्गत की जायेगी।

x. lxBu d InL;k I ikIr ith;u 'kYd@vU; 'kYd%& यह संगठन के सदस्यों से प्राप्त पंजीयन/प्रवेश शुल्क की राशि होती है।

xi. ikIr lok 'kYd%& सी.एल.एफ. द्वारा प्रदाय की जानी वाली सेवाओं के परिपेक्ष्य में प्राप्त की गई राशि एवं समूहों संगठनों द्वारा सी.एल.एफ. को प्रदाय की गई सेवा शुल्क की राशि होती है।

xii. vU; ikfIr;k%& यह सदस्यों से प्राप्त कुल राशि, देनदारों द्वारा प्रदाय की गई कुल राशि होती है।

3- xj ithxr ikfIr;k@fo'k"k mÌ'; dh ifr gr ikfIr;k%& इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट उद्देश्य/कार्य की पूर्ति हेतु प्राप्त राशि एवं समस्त गैर पूंजीगत प्राप्तियों की प्रविष्टि की जानी होती है।

i. fof'k"V dk;l d liknu gr ikIr vU; jkf'k@lgk;rk jkf'k ftldh mi;kx d lca/k e fo'k"k funs'k ikIr gk%& यह कुल प्राप्त राशियों का योग होता है जो कि किसी विशिष्ट की पूर्ति हेतु प्राप्त होती है। जैसे किः– सी.आर.पी. का भुगतान, प्रशिक्षण हेतु प्राप्त राशि, कम्युनिटी कैडर का पारिश्रमिक, अन्य विशिष्ट कार्ययोजना (विशिष्ट कार्य हेतु अनुदान राशि के लिए पृथक से दिशा–निर्देश प्रदान किये जायेंगे जिसके अनुसार कार्य संपादन किये जाना होगा)।

ii. ,l-vkj-,y-,e- }kjk lxBu dk inkf;r LVkV&vi QM%& यह वित्तीय वर्ष में एस.आर.एल.एम. द्वारा सी.एल.एफ. को प्रदायित स्टार्ट–अप फंड की राशि का योग होता है।

iii. vkink dk"k ¼0gh-vkj-,Q-½%& यह एस.आर.एल.एम. द्वारा सी.एल.एफ. को प्रदायित आपदा कोष (व्ही.आर.एफ.) की राशि होती है।

4- _.k dh ey/ku dh ikfIr%&

i. lkenkf;d fuos'k dk"k e ls lxBu InL;k dk inkf;r _.k ij ey/ku dh ikfIr%& यह सी.एल.एफ. द्वारा अपने समूह संगठनों से प्राप्त की गई/वसूली गई ऋण के मूलधन की राशि होती है।

ii. m|e d fy, ikIr lkenkf;d m|ferk jkf'k ¼CEF½ l inkf;r _.k d ey/ku dh ikfIrः– यह संगठन द्वारा प्राप्त की गई सामुदायिक उद्यमिता की ऋण राशि का मूलधन होगा जो कि संगठन सदस्य को वापस किया जायेगा।

iii. mRiknu lewgks dks inkf;r _.k jkf'k dk ey/ku dh ikfIr%& यह संगठन द्वारा प्राप्त की गई उत्पादन समूहों द्वारा वापस की गई ऋण राशि का मूलधन होगा।

iv. vU; vuqnku ls izkIr jkf'k%& यह संगठन सदस्यों/समूहों को अन्य अनुदान से प्रदायित ऋण राशि के परिपेक्ष्य में वापस की गई मूलधन की राशि होगी, जिसकी प्रविष्टि की जानी होगी।

5- lxBu lnL;ks dks inkf;r vuqnku dh okil izkIr jkf'k%& यह सी.एल.एफ. द्वारा संगठन समूहों से वसूली गई अन्य ऋण राशियॉ का मूलधन हो सकता है जैसे कि किसी संगठन सदस्य को कम्प्युटर के क्रय हेतु प्रदाय की गई ऋण राशि की वापसी।

6- inkf;r vfxze jkf'k dh okilh%& यह उन राशियों को योग होगा जो कि सी.एल.एफ. द्वारा सदस्य संगठनों/कम्युनिटी कैडर/उप समूह/कार्यालयीन कर्मचारी अथवा अन्य को अग्रिम के रूप में प्रदान की गई है। यह राशि पूर्व के वित्तीय वर्ष मे प्रदाय की गई हो एवं चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई हो तो भी प्रविष्टि की जानी होगी।

❖ Hkxrku dh dkye esa Hkjh tkus okyh tkudkfj;k%&

1- iwathxr 0;;%& इस मद के अंतर्गत वह सभी व्यय राशि अंकित की जानी होगी, जो कि पूंजी राशि का उपयोग करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में की गई है।

v- LFkk;h lEifÙk dk Ø;%& यह सी.एल.एफ. हेतु स्थायी सम्पत्ति के क्रय संबंधी कुल व्यय की राशि होती है। जैसे कि भूमि, भवन, कम्प्युटर, फर्नीचर, मशीनरी व अन्य इलेक्ट्रानिक सामाग्रियॉ।

c. LVkd lkekxh dk Ø;%& यह सी.एल.एफ. कार्यालय हेतु क्रय किये गये स्टॉक सामाग्री संबंधी व्यय होता है। जैसे कि लेखा पुस्तकें, वित्तीण हेतु मशीनरी, बीज इत्यादि।

2- vkorhZ 0;;%&

v- laxBu deZpkfj;ksa dk ekuns;%& यह संगठन स्टॉफ को चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई पारिश्रमिक/वेतन राशि का योग होता है।

c- lh-vkj-ih-@dSMj dk ekuns;%& यह सी.आर.पी./कैडर द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में उनकी कार्य की कुल अवधि अनुसार भुगतान किये गये मानदेय की कुल व्यय राशि होती है।

l- dk;kZy; dk fdjk;k] fctyh fcy] ikuh fcy] nwjHkk"k] baVjusV ,oa vU; dk;kZy; lapkyu lac/kh 0;;%& यह सी.एल.एफ. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये आवर्ती व्यय की कुल राशि होती है। जैसे कि कार्यालय किराया, बिजली व्यय, दूरभाष, इंटरनेट एवं अन्य कार्यालयीन संचालन व्यय।

n- LVs'kujh Ø; lac/kh 0;;%& कार्यालय हेतु स्टेशनरी सामाग्री क्रय की कुल व्यय राशि इसमें अंकित की जाती है। जैसे कि फाईल, लेजर बुक, बिल बुक, फार्म एवं फार्मेट जो सी.एल.एफ. द्वारा उपयोग किया जावेगा एवं अन्य स्टेशनरी सामाग्रियॉ।

/k- ;k=k lac/kh 0;;%& यह सी.एल.एफ. सदस्यों, कैडर, सी.आर.पी. कार्यकारणी समिति अथवा स्टॉफ के कार्यालयीन यात्रा से संबंधित कुल व्यय की राशि होती है।

u- cSad pktsl@deh'ku%& यह बैंक द्वारा प्रदाय की जा रही सुविधाओं के परिपेक्ष्य में बैंक खाते में उपलब्ध राशि से बैंक द्वारा कटौती की गई चार्जेस की राशि होती है। जैसे कि एस.एम.एस.ए. सुविधा, बैंक पास, चैक बुक उपलब्ध कराना, डी.डी., एन.ई.एफ.टी. अथवा अन्य सुविधायें।

i- vU; 0;;%& यह कार्यालयीन कार्य के संपादन हेतु अथवा उससे संबंधित चालू वित्तीय वर्ष में किया गया व्यय हो सकता है।

c- mPp Lrjh; laxBu dks inkf;r lnL;rk 'kqYd%& इसमें उच्च स्तरीय संगठन को प्रदाय की गई सदस्यता शुल्क की राशि संबंधित भुगतान शामिल है जैसे कि जिला स्तरीय फेडेरेशन (डी.एल.एफ.) अथवा विकासखण्ड स्तरीय फेडेरेशन (बी.एल.एफ.)।

3- fof'k"V dk;l ds fy, iklr jkf'k vrxr tkjh dh xbl jkf'k&

v- fof'k"V dk;l ds fy, iklr vuqnku jkf'k vrxr dh xbl 0;; jkf'k& tSls& सी.एल.एफ. को जारी गई स्टार्ट–अप फंड की राशि अंतर्गत प्राप्त व्यय राशिः–

c- izf'k{k.k@dk;l lsiknu grq fd;s x;s Hke.k grq dh xbl 0;; jkf'k& इसके अंतर्गत सी.एल.एफ. द्वारा आयोजित किये गये प्रशिक्षण संबंधी व्यय, सी.एल.एफ. सदस्यों/कैडर/सी.आर.पी. द्वारा किये गये शैक्षणिक भ्रमण संबंधी व्यय, रिसोर्स शुल्क, प्रशिक्षण सामाग्री, भोजन, यात्रा संबंधी व्यय की राशि सम्मिलित की जायेगी।

l- tkjh dh xbl vkink dk"k ¼Ogh-vkj-,Q-½ dh jkf'k& एस.आर.एल. द्वारा प्राप्त व्ही.आर.एफ. की राशि अंतर्गत अर्जित की गई व्यय राशि इसमें सम्मिलित है।

4- lforfjr _.k jkf'k&

v- tkjh dh xbl lkeqnkf;d fuos'k dk"k ¼lh-vkbl-,Q-½ _.k jkf'k& यह संगठन सदस्यों को जारी की गई सी.आई.एफ. संबंधी ऋण राशि का योग होता है।

c- lkeqnkf;d m|ferk leqgks dks inkf;r _.k jkf'k ¼CEF½& यह संगठन सदस्यों को उद्यमिता कार्य हेतु जारी की गई सी.ई.एफ. संबंधी ऋण राशि का योग होता है।

l- mRiknu leqgks dks inkf;r _.k jkf'k& यह संगठन सदस्यों को उत्पादन कार्य हेतु जारी की गई सी.ई.एफ. संबंधी ऋण राशि का योग होता है।

n- vU; iklr vuqnku ls inkf;r _.k jkf'k& यह संगठन सदस्यों को अन्य अनुदान से जारी गई ऋण राशि का योग होता है।

5- lxBu lnL;ks dks inkf;r _.k jkf'k& संगठन सदस्यों को विशिष्ट कार्य के संपादन हेतु प्रदाय की गई ऋण राशि

6- foÙkh; o"kl es inkf;r vfxze jkf'k& यह चालू वित्तीय वर्ष में प्रदाय की गई कुल अग्रिम राशि का योग होता है। जैसे कि समूह संगठन को प्रदायित अग्रिम, सप्लायर/कॉट्रेक्टर को प्रदाय की गई अग्रिम।

7- inkf;r ykHkka'k jkf'k ¼;fn vuqefr gks rks½& यह संगठन सदस्यों को वितरित की गई लाभांश की राशि (अनुमति होने की दशा में) का योग होता है।

8- vfre 'k"k ¼dS'kcqd vuqlkj½&

v- jksdM+ 'k"k& यह चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को रोकड़ का शेष होता है।

c- cSd dk 'k"k& यह चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को बैंक खाते का शेष होता है।

vk; 0;; [kkrk

आय एवं व्यय खाता चालू वित्तीय वर्ष में कार्य संचालन एवं संपादन पर मुद्रा के बढ़ने एवं घटने का विवरण प्रस्तुत करता है।

आय के कॉलम में निम्नांकित को सम्मिलित किया जाना होगाः–

1- vk; ¼pky foÙkh; o"k e iklr vk;½& यह चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय कुल योग होता है।

v. cd C;kt l iklr jkf'k& योजनांतर्गत धारित बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज की कुल राशि उल्लेखित की जाती है।

c. iklr tekuk jkf'k@vFkniM jkf'k& यह सदस्यों द्वारा अथवा देनदारों द्वारा किये गये विलंब से भुगतानों अथवा अन्य प्राप्त अर्थदंड की कुल राशि का योग होता है।

l. iklr lIk/ku 'kYd@lLFkkxr 'kYd& संगठन सदस्यों द्वारा दी गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क अथवा अन्य संसाधन शुल्क की कुल राशि इसमें दर्शायी जाती है।

n. lnL;k dk inkf;r lkenkf;d fuo'k dk"k ¼lh-vkb-,Q-½ ij iklr C;kt jkf'k& यह संगठन सदस्यों को प्रदायित सी.आई.एफ. ऋण पर प्राप्त ब्याज राशि का योग होता है।

/k- lnL;k dk inkf;r lkenkf;d m|ferk ¼lh-b-,Q-½ dh _.k ij iklr C;kt jkf'k& यह संगठन सदस्यों को प्रदायित सी.ई.एफ. ऋण पर प्राप्त ब्याज राशि का योग होता है।

u. mRiknu legk dk inkf;r _.k ij iklr C;kt jkf'k& यह उत्पादन समूहों को प्रदायित ऋण पर प्राप्त ब्याज राशि का योग होता है।

i- inkf;r vU; _.kk ij iklr C;kt jkf'k& यह समूहों सदस्यों को प्रदायित अन्य ऋण राशि के ब्याज का योग होता है।

2- lxBu lnL;k l iklr lnL;rk 'kYd:– यह चालू वित्तीय वर्ष में संगठन सदस्यों द्वारा प्रदायित सदस्यता शुल्क की कुल राशि का योग होता है।

3- iklr io'k 'kYd@ith;u 'kYd& यह संगठन सदस्यों द्वारा भुगतान की गई प्रवेश शुल्क की अथवा पंजीयन शुल्क एवं सदस्यता नवीनीकरण की शुल्क की राशि होती है।

4- iklr lok 'kYd& इसके अंतर्गत समूह संगठनों/सदस्यों द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं के परिपेक्ष्य में प्राप्त कुल राशि की प्रविष्टि की जानी होगी।

5- vU; vk;& समूह संगठन को प्राप्त ऐसी आय जो उपरोक्त में से किसी अंतर्गत नहीं आती हो उसकी प्रविष्टि इस मद में की जा सकती है।

6- dy vk;& उपरोक्त वर्णित विभिन्न मदों अंतर्गत प्राप्त आय राशि का योग होगा।

7- vk; ls vfrfjDr 0;; dh 'k"k jkf'k ¼;fn 0;; dh jkf'k vk; vf/kd gks½& यदि कुल व्यय की राशि आय की राशि से अधिक होगी तो इस अंतर की राशि को इस मद में दर्शाया जायेगा।

0;;½& इस कॉलम में चालू वित्तीय वर्ष में किये गये निम्न व्ययों को दर्शाया जाना होगा।

1- 0;; ¼vkorhZ½ ¼pkyw foÙkh; o"kZ esa fd;s x;s vfxze dks lek;ksftu lfgr½

v- ikfjJfed ¼lh-ch-vks- deZpkfj;ksa dks Hkqxrku fd;k x;k ikfjJfed½& इसके अंतर्गत सी.बी.ओ. कर्मचारियों को भुगतान की गई कुल पारिश्रमिक वेतन राशि का उल्लेख किया जाना होगा।

c- lh-vkj-ih-@dSMj dks Hkqxrku fd;k x;k ikfjJfed½& इसके अंतर्गत सी.आर.पी. एवं कैडर को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के परिपेक्ष्य में भुगतान किये गये कुल पारिश्रमिक राशि का उल्लेख किया जायेगा।

l- LVs'kujh Ø;½& इसके अंतर्गत कार्यालय हेतु क्रय की गई कुल स्टेशनरी व्यय का उल्लेख किया जाना होगा।

n- ;k=k 0;;½& यह सी.एल.एफ. सदस्यों, कैडर, सी.आर.पी. कार्यकारणी समिति अथवा स्टॉफ के कार्यालयीन यात्रा से संबंधित कुल व्यय की राशि का योग होता है।

/k- cSd deh'ku@'kqYd½& यह बैंक द्वारा प्रदाय की जा रही सुविधाओं के परिपेक्ष्य में बैंक खाते में उपलब्ध राशि से बैंक द्वारा कटौती की गई चार्जेस की राशि होती है। जैसे कि एस.एम.एस.ए. सुविधा, बैंक पास, चैक बुक उपलब्ध कराना, डी.डी., एन.ई.एफ.टी. अथवा अन्य सुविधायें।

u- vU; 0;;½& चालू वित्तीय वर्ष में किये गये ऐसे व्यय जो उपरोक्त में से किसी मद अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हे अन्य व्यय मद अंतर्गत दर्शाया जा सकता है।

i- mPp Lrjh; laxBu dks iznkf;r lnL;rk 'kqYd:– इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय संगठन को प्रदाय की गई सदस्यता शुल्क की राशि संबंधित व्यय शामिल है जैसे कि जिला स्तरीय फेडेरेशन (डी.एल.एफ.) अथवा विकासखण्ड स्तरीय फेडेरेशन (बी.एल.एफ.)

2- 0;; ¼iwathxr½

v- LFkk;h lEifÙk dk Ø;½& यह सी.एल.एफ. हेतु क्रय की गई स्थायी संपत्तियों के क्रय हेतु भुगतान की गई कुल राशि का योग होता है।

c- LVkd lkexzh dk Ø;½& यह सी.एल.एफ. हेतु क्रय की गई स्टॉक सामग्री`के क्रय हेतु भुगतान की गई कुल राशि का योग होता है।

3- _.k ls gkfu@viys[kr fd;k x;k Mcr _.k½& इसके अंतर्गत सी.एल.एफ. द्वारा सदस्यों को प्रदाय की गई ऋण राशि जो कि वसूली नहीं जा सकेगी को अपलेखित करने हेतु कुल डुबत राशि दर्शायी जायेगी।

4- lxBu lnL;k dk inkf;r lok 'kYd%& इसके अंतर्गत समूह संगठनों से ली गई सेवाओं के परिपेक्ष्य में भुगतान की गई सेवा शुल्क की राशि दर्शायी जाती है।

5- dy 0;;%& इसके अंतर्गत कुल व्यय राशि का योग दर्शाया जाता है।

6- 0;; ls vfrfjDr vk; dh 'k"k jkf'k ¼;fn vk; dh jkf'k 0;; ls vf/kd gk½%& यदि कुल आय की राशि व्यय की राशि से अधिक होगी तो इस अंतर की राशि को इसमें दर्शाया जायेगा।

cyl ÛkhV%& बैंलेस शीट किसी संस्थान द्वारा प्राप्त कुल राशि

1. nkf;Ro %&

1- ith@lex fuf/k%&

v- ithxr ikjfHkd 'k"k ¼;fn gk rk½%& यह कुल संपत्ति एवं दायित्व की अंतर राशि होती है।

c- lxBu legk dh cpr%& यह समूह संगठन सदस्यों द्वारा की गई बचत की कुल राशि का योग होता है।

l- lxBu legk }kjk inkf;r v'k ith%& यह सी.एल.एफ. सदस्यों द्वारा सी.एल.एफ. के अंश क्रय करने के परिपेक्ष्य में भुगतान की गई राशि होती है।

n. lkenkf;d fuos'k dk"k ¼,l-vkj-,y-,e- }kjk inkf;r **CIF**½%& यह सी.एल.एफ. द्वारा प्राप्त की गई सी.आई.एफ. की अनुदान की कुल राशि होती है।

/k. m|e dk fy, ikIr lkenkf;d m|ferk jkf'k ¼**CEF**½%& यह सी.ई.एफ. द्वारा प्राप्त की गई सी.ई.एफ. की अनुदान की कुल राशि होती है।

u. vU; ikIr vkcVu%& यह सी.एल.एफ. द्वारा अन्य स्त्रोंतो से प्राप्त की गई अनुदान की कुल राशि होती है।

i- l'k; ¼fjto½ ls ikIr gLrkrfjr jkf'k ¼;fn dkbl gk rk½%& यह उस राशि का योग होता है जो कि सी.एल.एफ. द्वारा अतिरिक्त लाभ में से संशय के रूप में प्रावधानित करके रखी जाती है एवं कार्यकारणी समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त कर रिजर्व में हस्तांतरित की जाती है। यह तभी संभव है जब सी.एल.एफ. अतिरिक्त लाभ अर्जित कर रहा हो। रिजर्व की राशि उपयोग न होने के दशा में आगामी वर्षों में पूंजी राशि में सम्मिलित की जा सकती है।

2- l'k; ¼fjto½%&

v- ikjfHkd 'k"k%& यह की पूर्व की वित्तीय वर्ष में सी.एल.एफ. द्वारा प्रावधानित की गई संशय की शेष राशि होती है। जो कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक शेष के रूप में अंकित की जानी होगी।

c- 0;; l vfrfjDr vk; jkf'k ¼tgk ij vk; vf/kd gkxh vkj 0;; de gkxk½ ¼+½%& यह चालू वित्तीय वर्ष में अर्जित की गई लाभ की राशि होती है, जो कि संशय के प्रारंभिक शेष में जोड़ी जाती है।

स. vk; l vfrfjDr 0;; jkf'k ¼tgk ij 0;; vf/kd gkxk vkj vk; de gkxk½ ¼&½%& यह चालू वित्तीय वर्ष में अर्जित की गई हानि की राशि होती है, जो कि संशय के प्रारंभिक शेष में घटाई जाती है।

n- lÛk; dh jkfÛk dk iwth e lyXuhdj.k%& संशय के अतिरिक्त प्रावधानित राशि जो कि हानि की पूर्ति करने के अतिरिक्त शेष बची हो को कार्यकारणी समिति के अनुमोदन उपरांत पूंजी में सम्मिलित किया जा सकता है।

3- iklr vfxe jkf'k%& सी.एल.एफ. द्वारा प्राप्त की गई ऐसी अग्रिम राशि जिसकी परिपेक्ष्य में किसी तरह की सेवा अथवा सामाग्राी उपलब्ध कराया जाना शेष है।

4- vU; nkf;Rok%& ऐसी राशि जो कि किसी को प्रदाय करने हेतु किसी कार्य अथवा सेवा के परिपेक्ष्य में आशवासित की गई हो, परन्तु भुगतान हेतु शेष हो।

5- dy nkf;Ro%& उपरोक्त वर्णित सभी मदों अंतर्गत दायित्व का कुल योग इसमें दर्शाया जाता है।

lEifÙk%&

1- LFkk;h lEifÙk%&

v- ikjfHkd 'k"k%&

c- LFkk;h lEifÙk dk Ø;%& यह सी.एल.एफ. हेतु क्रय की गई स्थायी संपत्तियों के क्रय हेतु भुगतान की गई कुल राशि का योग होता है।

l- LVkd lkexh dk Ø;%& यह सी.एल.एफ. हेतु क्रय की गई स्टॉक सामग्री के क्रय हेतु भुगतान की गई कुल राशि का योग होता है।

n- lh-,y-,Q- }kjk fd; x;k LFkk;h tek%& यह सी.एल.एल.एफ. द्वारा बैंक में जमा किये गया कोई स्थायी जमा राशि हो सकती है।

2- _.k%&

v- vikIr _.k jkf'k tkfd lkenkf;d fuo'k dk"k e l InL;k dk inkf;r gk%& यह सदस्य संगठनों को प्रदायित वह सामुदायिक निवेश कोष की ऋण राशि होती है जो कि वसूली करना शेष हो।

c- vikIr _.k jkf'k tkfd lkenkf;d m|ferk jkf'k ¼CEF½ l InL;k dk inkf;r g%& यह सदस्य संगठनों को प्रदायित वह सामुदायिक उद्यमिता राशि की ऋण राशि होती है जो कि वसूली करना शेष हो।

l- अन्य अप्राप्त ऋण राशिः– अन्य अनुदान अंतर्गत समूह संगठनों को प्रदायित ऋण राशि जो कि जो कि वसूली करना शेष हो।

3- vfxe ¼lEifÙk½%&

v- अन्य प्रदायित अग्रिम राशियॉ जो कि अप्राप्त हैः– सी.एल.एफ. द्वारा प्रदायित कोई अग्रिम राशि जिसके परिपेक्ष्य में सामाग्राी अथवा सेवायें प्राप्त करना शेष हो।

4- 'k"k jkf'k%&

v- jkdM 'k"k%& यह चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को रोकड़ का शेष होता है।

c- cd dk 'k"k%& यह चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को बैंक खाते का शेष होता है।

5- dy ifjlifÙk;k%& यह सम्पत्ति के कॉलम में उपरोक्त मदों को योग करने पर प्राप्त की गई कुल राशि होती है।